न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO), मावली जिला उदयपुर (राज.)

पीठासीन अधिकारी : कपिल कुमार कोठारी, आर.ए.एस.
पत्रावली संख्या : 91/19 (वाद)
GCMS No : 2019/00261

1. श्री मोहन पिता रामा डांगी निवासी रख्यावल तह. मावली।

.....वादी

बनाम्

1. श्री हीरा पिता रामा डांगी निवासी रख्यावल तह. मावली।

.....प्रतिवादी

उपस्थित–1. श्री मदनलाल नागदा, अधिवक्ता वादी।
2. श्री कमलेश जैन, अधिवक्ता प्रतिवादी।

वाद अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 एवं धारा 151 जा.दी.
निर्णय

दिनांक : 23.08.2022

1. वादी द्वारा वाद अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा रख्यावल पटवार हल्का रख्यावल की वादग्रस्त भूमि वादी एवं प्रतिवादी की पैतृक सम्पति होना बताकर प्रतिवादी को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किये जाने का वाद प्रस्तुत किया हैं। प्रकरण को दर्ज कर प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रकरण में प्रतिवादी की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 जा.दी. एवं धारा 151 जा.दी. का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादी की ओर से वादपत्र के साथ प्रस्तुत दस्तावेज के रूप में पेश जमाबन्दी में वर्णित आराजीयात में वादी अथवा प्रतिवादी को बतौर खातेदार के रूप में कहीं कोई अंकन नहीं है उपरोक्त तथ्य स्वयं वादी द्वारा प्रस्तुत वादपत्र की कलम सं. 2 में स्पष्ट रूप से किया हुआ है कि ''उक्त आराजीयात के मूल खातेदार रामा पिता उंकार होकर वादी एवं प्रतिवादी उनके पुत्र हो रामा जी की मृत्यु करीब 15 वर्ष पूर्व हो चुकी हैं'' अर्थात् वाद वर्णित आराजीयात के न तो वादी खातेदार है, न ही मैं प्रतिवादी खातेदार हूं, ऐसी परिस्थिति में वादी को अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत् वाद प्रस्तुत करने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि धारा 188 के तहत् वाद सिर्फ अभिधारी (Tenant) ही न्यायालय में वाद प्रस्तुत करने का अधिकारी होता है। अतः वादी द्वारा प्रस्तुत वाद अधिनियम में उल्लेखित प्रावधानों के विपरीत प्रस्तुत होने से विधि द्वारा वर्जित होकर इसी स्तर पर निरस्त (Reject) होने योग्य हैं। अतः श्रीमान् से निवेदन है कि प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमा वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र विधि के प्रावधानों के विपरीत होने से इसी स्तर पर सव्यय निरस्त फरमाया जावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kapil Kumar Kothari
Date: 2022.10.07 15:23:56 IST
Reason: SelfAttested

2. प्रकरण में वादी अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जा.दी. का जवाब नहीं देकर सीधे बहस करना चाही। अधिवक्ता उभय पक्षकारान की प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा वाद को खारिज किया जाने का निवेदन किया। विद्वान अधिवक्ता वादी द्वारा अपनी बहस में वाद में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा निवेदन किया कि वादग्रस्त भूमि पैतृक सम्पति होने से प्रतिवादी दखलन्दाजी करने पर आमादा है इसलिए प्रतिवादी को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद कराने हेतु वाद प्रस्तुत किया है जो नियमानुसार सही होकर न्यायालय के क्षेत्राधिकार में हैं। प्रकरण को मात्र लम्बा करने की नियत से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है जो सव्यय खारिज फरमाया जावें।

3. हमने पत्रावली का अवलोकन किया। हमने दोनो पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्क सुने। प्रार्थना पत्र का अध्ययन किया। सर्वप्रथम यह देखना है कि सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 7 नियम 11 मे क्या प्रावधान है जो निम्न प्रकार है–**वादपत्र का नामंजूर किया जाना– वादपत्र निम्न लिखित दशाओं में नामंजूर कर दिया जाएगा।**

(क) जहां वह वाद हेतुक प्रकट नहीं करता है।

(ख) जहां दावाकृत अनुतोष का मूल्यांकन कम किया गया है और वादी मूल्यांकन को ठीक करने के लिए न्यायालय द्वारा अपेक्षित किए जाने पर उस समय के भीतर जो न्यायालय ने नियत किया है, ऐसा करने में असफल रहता है।

(ग) जहां दावाकृत अनुतोष का मूल्यांकन ठीक है किन्तु वादपत्र अपर्याप्त स्टाम्प पत्र पर लिखा गया है और वादी अपेक्षित स्टाम्प पत्र के देने के लिए न्यायालय द्वारा अपेक्षित किये जाने पर उस समय के भीतर, जो न्यायालय ने नियत किया है, ऐसे करने में असफल रहता है।

(घ)जहां वादपत्र के कथन से यह प्रतीत होता है कि वाद किसी विधि द्वारा वर्जित है।

(ड) जहां यह दो प्रतियों में दाखिल नहीं किया जाता है।

(च) जहां वादी नियम 9 के उपबन्धों का अनुपालन करने में असफल रहता है।

4. हमने पत्रावली मय दस्तावेज का अध्ययन किया। वादी द्वारा स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया है। जमाबन्दी के अवलोकन से वादी उक्त भूमि का खातेदार काश्तकार नहीं हैं। उक्त भूमि वर्तमान में वादी एवं प्रतिवादी के पिता रामा पिता उंकार के नाम दर्ज हैं। वादी व प्रतिवादी वर्तमान में वादग्रस्त भूमि के खातेदार काश्तकार नहीं हैं। वादग्रस्त भूमि वर्तमान में रामा के नाम पर दर्ज है परन्तु रामा की 15 वर्ष पूर्व मृत्यु होना बताया हैं। प्रार्थी के कथनानुसार वादी [illegible] को वाद लाने का कोई अधिकार नहीं हैं। वाद विधि द्वारा वर्जित होने से [illegible] बताया हैं।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kapil Kumar Kothari
Date: 2022.10.07 15:23:56 IST
Reason: SelfAttested

5. वाद के वाद के अध्ययन के उपरान्त प्रथम दृष्टया यह तथ्य सामने आया है कि वादी द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 188 के तहत् वाद प्रस्तुत किया है, जिसमें स्पष्ट प्रावधान है कि **''188 . अवैध बेदखली के विरूद्व निषेधाज्ञा– (1) कोई आसामी जिसके भूमि क्षेत्र या भूमि क्षेत्र के भाग पर उसके अधिकार अथवा उपभोग पर भूमिधारी या अन्य व्यक्ति द्वारा आक्रमण किया जाता है या आक्रमण किये जाने की धमकी दी जाती है, शाश्वत निषेधाज्ञा की स्वीकृति के लिए दावा दायर कर सकता हैं।''** इससे स्पष्ट है कि धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का वाद केवल खातेदार आसामी द्वारा ही प्रस्तुत किया जा सकता हैं। वादी खातेदार नहीं होने से वादी द्वारा प्रस्तुत वाद को चलाये जाने का कोई औचित्य नहीं हैं। वादी के पिता की मृत्यु हो गई है तो वादी को खातेदारी की घोषणा के साथ अस्थाई निषेधाज्ञा का वाद लाना चाहिए था वरन् वादी द्वारा ऐसा नहीं कर केवल अस्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया हैं जो बार्ड बाय लॉ होने से प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जा.दी. के तहत आने से बार्ड बाय लॉ पाया जाता है। अतः वादी का वाद बार्ड बाय लॉ होने से प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जा.दी. के तहत् आने से प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 स्वीकार योग्य पाया जाता है।

6. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जा.दी. एवं धारा 151 जा. दी. का स्वीकार योग्य पाया जाता हैं।

–: आदेश :–

प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जा.दी. एवं धारा 151 जा. दी. का स्वीकार किया जाने से वादी का वाद अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का अस्वीकर कर खारिज किया जाता हैं। डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हों।

निर्णय खुले ईजलास लिखा जाकर सुनाया गया।

(कपिल कुमार कोठारी)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली

Signature Not Verified

Digitally signed by Kapil Kumar Kothari
Date: 2022.10.07 15:23:56 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री व मुकद्धमें इब्तदाई

(आ 20 रुल 6–7 जाब्ता दीवानी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर मावली

बईजलास कपिल कुमार कोठारी, आर.ए.एस.

उनवान्

1. श्री मोहन पिता रामा डांगी निवासी रख्यावल तह. मावली।

.....वादी

बनाम्

1. श्री हीरा पिता रामा डांगी निवासी रख्यावल तह. मावली।

.....प्रतिवादी

वाद अन्तर्गत धारा 188 राज.काश्तकारी अधिनियम

मुकदमा न0 : 91/19 (वाद) GCMS No. :2019/00261

यह मुकद्धमा आज वास्ते इन्फिसाल कतई रुबरु कपिल कुमार कोठारी R.A.S. मिनजानिब मुद्धायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि :–

प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जा.दी. एवं धारा 151 जा.दी. का स्वीकार किया जाने से वादी का वाद अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का अस्वीकर कर खारिज किया जाता हैं।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 23.08.2022 को जारी की गई।

(कपिल कुमार कोठारी)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली

Signature Not Verified

Digitally signed by Kapil Kumar Kothari
Date: 2022.10.07 15:23:56 IST
Reason: SelfAttested